लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 886

जिसका उत्तर बुधवार, 07 फरवरी, 2024 को दिया जाएगा

मूल्य स्थिरीकरण कोष

886. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे: श्री कृष्णपालसिंह यादव: श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल: प्रो. रीता बहुगुणा जोशी: डॉ. सुजय विखे पाटील: डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2014-15 में मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) की शुरुआत से अब तक इसके उपयोग का ब्यौरा क्या है, जिसमें विशेष रूप से उन वस्तुओं की मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति पर ध्यान केन्द्रित किया गया है, जिनके लिए बफर स्टॉक तैयार किया गया है;

(ख) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एजेंसियों द्वारा आवंटित निधि सहित भंडार के रख-रखाव में शामिल एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) मंत्रालय द्वारा विशेषकर कोविड के दौरान मूल्य स्थिरीकरण कोष की दक्षता बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) इस पहल से कितने परिवार लाभान्वित हुए हैं; और

(ड.) कुल कितनी मात्रा में दालों का वितरण किया गया है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख): कृषि-बागवानी वस्तुओं में मूल्य अस्थिरता के कारण उपभोक्ताओं को होने वाली कठिनाई को कम करने के लिए, 2014-15 में मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) की स्थापना की गई है। पीएसएफ का उपयोग मुख्य रूप से दालों (तूर, उड़द, मूंग, मसूर और चना) और प्याज के बफर के निर्माण के लिए किया गया है, ताकि इन वस्तुओं को किफायती कीमतों पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने के लिए बाद के बाजार हस्तक्षेपों के लिए स्टॉक खरीदा जा सके। पीएसएफ का उपयोग कीमतों में असाधारण अस्थिरता के दौरान टमाटर और आलू जैसी वस्तुओं के संबंध में बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए भी किया जाता है।

हाल ही में, जब व्हाईट फ्लाई संक्रमण और प्रतिकूल मौसम के कारण जुलाई और अगस्त, 2023 के दौरान टमाटर की कीमतों में वृद्धि हुई, तब स्रोत बाजारों से मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत टमाटर की खरीद की गई और इसे राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ) और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नेफेड) के माध्यम से उच्च कीमत वाले क्षेत्रों में खुदरा उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर उपलब्ध कराया गया। हस्तक्षेप के माध्यम से, सितंबर 2023 के पहले पक्ष तक टमाटर की खुदरा कीमतों को सामान्य स्तर पर लाया गया।

प्याज की कीमतों में मौसमी अस्थिरता को रोकने के लिए, कम खपत वाले मौसम के दौरान उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर प्याज उपलब्ध कराने के लिए पीएसएफ के तहत बफर स्टॉक बनाए रखा जाता है। 2023-24 में बफर के लिए प्याज खरीद लक्ष्य 2022-23 में 2.50 एलएमटी से बढ़ाकर 7.00 एलएमटी कर दिया गया है। जून 2023 से किसानों से प्याज की खरीद आज तक जारी है और आज तक कुल 6.30 एलएमटी खरीद की गई है। खरीदे गए प्याज को खुदरा बिक्री, ई-नाम नीलामी और थोक बाजारों में थोक बिक्री के माध्यम से लगातार जारी किया गया है। पीएसएफ के तहत प्याज बफर परिचालन से कीमतों में वार्षिक मौसमी अस्थिरता को कम करने में मदद मिली है।

उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर दाल उपलब्ध कराने के लिए, खुदरा निपटान के लिए पीएसएफ में मौजूद चना स्टॉक को चना दाल में परिवर्तित करके जुलाई 2023 में भारत दाल लॉन्च किया गया है। भारत चना दाल उपभोक्ताओं को 1 किलोग्राम पैक के लिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 किलोग्राम पैक के लिए 55 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाती है। लगभग 2.97 एलएमटी भारत चना दाल खुदरा उपभोक्ताओं को बेची गई है, जो चना दाल की घरेलू खपत का लगभग 25% है। भारत दाल को बफर से मूंग स्टॉक को मूंग दाल और मूंग साबुत में परिवर्तित करके मूंग दाल को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है, ताकि उपभोक्ताओं को क्रमशः 107 रुपये प्रति किलोग्राम और 93 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती कीमतों पर खुदरा बिक्री की जा सके।

राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नेफेड), राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ), भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी), धातु एवं खनिज व्यापार निगम (एमएमटीसी) और स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन (एसटीसी) पीएसएफ के तहत स्टॉक की खरीद और रखरखाव के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियां हैं। केंद्रीय नोडल एजेंसियों के अलावा, सात राज्यों ने अपने स्वयं के राज्य-स्तरीय मूल्य स्थिरीकरण कोष कॉर्पस (एसएलपीएसएफ) की स्थापना की है और राज्य-स्तर पर पीएसएफ कॉर्पस में अपने योगदान के 50% (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 75%) की सीमा तक ब्याज मुक्त कार्यशील पूंजी अग्रिम के रूप में केंद्रीय पीएसएफ कॉर्पस से समर्थन प्राप्त किया है। पीएसएफ से जारी केंद्रीय नोडल एजेंसी-वार और राज्य-वार धनराशि का ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ग) से (ड.): पीएसएफ बफर से दालों का उपयोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएसएफए, 2013) के लाभार्थियों और कोविड-19 महामारी के दौरान फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों को पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। कोविड-19 से निपटने के लिए आर्थिक प्रतिक्रिया के हिस्से के रूप में प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) पैकेज के तहत की गई घोषणा के अनुसरण में, उपभोक्ता मामले विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत 19.4 करोड़ लाभार्थी परिवारों को शुरू में तीन महीने - अप्रैल से जून 2020 तक प्रति माह 1 किलो प्रति परिवार मुफ्त वितरण के लिए पीएसएफ बफर से दालों का प्रावधान किया था। इसके बाद, पीएमजीकेएवाई के तहत दालों का वितरण अगले पांच महीनों यानी जुलाई से नवंबर, 2020 तक बढ़ा दिया गया, जिसके तहत पीएसएफ बफर से चना साबुत एनएसएफए लाभार्थी परिवारों को प्रति परिवार 1 किलो की दर से मुफ्त वितरित किया गया। इसके अलावा, आत्मनिर्भर भारत (एएनबी) के तहत, पीएसएफ बफर से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को दो महीने मई और जून, 2020 की अवधि के लिए फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों को वितरण के लिए 1 किलो प्रति परिवार प्रति माह मुफ्त साबुत चना प्रदान किया गया था। कोविड-19 महामारी के दौरान पीएसएफ बफर से कुल 14.42 लाख टन प्रसंस्कृत दालें लगभग 20.17 करोड़ परिवारों को मुफ्त वितरित की गई।

''मूल्य स्थिरीकरण कोष'' के संबंध में लोक सभा के दिनांक 07.02.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 886 के उत्तर के भाग (क और ख) में उल्लिखित अनुलग्नक

अनुलग्नक

पीएसएफ से केंद्रीय नोडल एजेंसी-वार और राज्य-वार जारी की गई धनराशि

क्रम सं.	**एजेंसी/राज्य**	**राशि (करोड़ रुपये में)**
क.	केंद्रीय नोडल एजेंसियां	
1	नेफेड	44,559.21
2	एसएफएसी	754.20
3	एफसीआई	1,574.28
4	एमएमटीसी	2,611.54
5	एसटीसी	42.81
6	एनसीसीएफ	3,119.41
	कुल-क	**52,661.44**
ख.	**राज्य स्तरीय पीएसएफ**	
1	आंध्र प्रदेश	50.00
2	पश्चिम बंगाल	2.50
3	तेलंगाना	9.15
4	ओडिशा	25.00
5	तमिलनाडु	2.50
6	असम	75.00
7	नागालैंड	37.50
	कुल-ख	**201.65**
ग.	**कुल (क+ख)**	**52,863.09**

*****